विश्व मामलों की भारतीय परिषद

वर्ष 2013-2014

के **वार्षिक** लेखे

विषय-सूची

विश्व मामलों की भारतीय परिषद् 31.03.2014 को समाप्त हुए वर्ष के प्राप्ति एवं भुगतान लेखे	1
31.03.2014 को बैलेंस शीट की स्थिति	3
31.03.2014 को समाप्त हुए वर्ष के आय-व्यय लेखे	4
लेखा परीक्षा प्रतिवेदन	16

विश्व मामलों की भारतीय परिषद
01 अप्रैल 2013 से 31 मार्च, 2014 तक की अवधि के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान

(राशि रु. में)

प्राप्तियां	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
I.प्रारंभिक शेष		
(क) नकद रोकड़	–	–
(ख) बैंक में जमाराशि		
भारतीय स्टेट बैंक चालू खाता	96,11,322	1,37,98,309
भारतीय स्टेट बैंक बचत खाता	73,71,311	–
(ग) अन्य		
अग्रदाय खाता	5,000	5,000
प्रेषक के पास डाक टिकटें	2,968	2,844
II. अनुदान		
एमईए से अनुदान - सामान्य	7,17,75,000	8,79,00,000
एमईए से अनुदान - वेतन	1,30,77,000	–
एमईए से अनुदान - सीएससीएपी बैठकें	10,76,149	11,24,870
एमईए से अनुदान - सेमिनार	81,60,372	44,81,523
III. आय		
पुस्तकालय की सदस्यता	38,800	51,000
विविध आय	64,392	1,99,799
रायल्टी, प्रकाशनों आदि से आय	5,62,130	3,08,984
बचत खाते से अर्जित व्यय	10,47,768	–
IV. अन्य प्राप्तियां		
प्रतिभूति जमा - पुस्तकालय	36,400	72,800
अन्य अग्रिम प्राप्तियां	2,595	–
रद्द चेक	1,12,000	29,347
अप्रयुक्त अनुदान/भुगतान की वसूली	2,63,677	–
परिसंपत्तियों का निपटान	78,235	–
त्यौहार अग्रिमों की वसूली	2,625	–
कुल अग्रनीत	11,32,87,744	10,79,74,476

भुगतान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
I. व्यय		
(क) संस्थापना व्यय		
वेतन भविष्य निधि इत्यादि	1,16,41,539	1,04,61,374
बोनस	1,02,732	1,09,090
ग्रेच्युटी व्यय	3,77,176	7,87,129
परिषद द्वारा पेंशन निधि में अंशदान	1,60,629	1,75,284
कर्मचारी कल्याण व्यय	1,21,406	7,635
प्रशासनिक एवं निरीक्षण प्रभार-आरपीएफसी	13,235	12,500
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	6,62,628	6,62,847
कर्मचारी समूह बीमा	12,940	40,000
(ख) प्रशासनिक व्यय		
विज्ञापन व्यय	1,36,051	34,992
लेखापरीक्षा शुल्क	2,97,435	74,220
बैंक प्रभार	41,552	46,424
प्रकाशन लागत	25,10,664	15,46,344
सीएससीएपी सामान्य व्यय	280	–
विद्युत और जल प्रभार	38,76,106	32,81,881
कार्यालय बीमा व्यय	34,158	23,761
बैठक एवं सेमिनार व्यय	92,19,383	1,31,04,309
एनडीएमसी सम्पत्ति कर	65,585	65,580
कार्यालय व्यय	5,39,026	6,31,822
डाक एवं तार	36,427	24,653
व्यावसायिक प्रभार	1,71,43,872	1,48,64,889
प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी व्यय	16,06,440	6,73,163
मरम्मत एवं अनुरक्षण	51,12,442	44,12,082
सुरक्षा व्यय	9,83,323	7,85,589
टेलीफोन एवं इंटरनेट व्यय	9,02,603	8,14,998
यात्रा एवं वाहन	39,39,564	46,41,671
वेबसाइट व्यय	5,13,097	3,41,575
समाचारपत्र, पुस्तकें एवं पत्रिकाएं	3,57,954	1,85,909
अंशदान एवं सदस्यता व्यय	8,13,572	5,89,693
अवधि पूर्व व्यय	33,353	5,51,805
कुल अग्रनीत	6,12,55,172	5,89,51,219

ह./-
लेखाकार

ह./-
ए.डी वित्त

ह./-
उप महानिदेशक

ह./-
महानिदेशक

विश्व मामलों की भारतीय परिषद
01 अप्रैल 2013 से 31 मार्च, 2014 तक की अवधि के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान

(रांशि रु. मे)

प्राप्तियां	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
कुल अग्रनीत	11,32,87,744	10,79,74,476	कुल अग्रनीत	6,12,55,172	5,89,51,219
			II. अचल परिसंपत्तियों के लिए भुगतान		
			कंप्यूटर/ उपसाधन	5,61,956	14,17,045
			फर्नीचर एवं फिक्स्चर्स	22,24,629	10,41,508
			ट्यूबवेल एवं जलापूर्ति		32,500
			पुस्तकालय आईटी अवसंरचना	-	2,32,696
			पुस्तकालय पुस्तक एवं पत्रिकाएं	63,43,765	68,12,263
			कार्यालय उपस्कर	9,92,614	10,50,919
			ऑडिटोरियम की जलापूर्ति प्रणाली	4,29,099	-
			ऑडिटोरियम का भवन	22,76,892	-
			ऑडिटोरियम की चेयर	6,60,656	-
			ऑडिटोरियम के फर्नीचर एवं फिक्स्चर्स	5,23,689	-
			जारी पूंजीगत कार्य (ऑडीटोरियम)	-	5,25,846
			III. प्रतिभूति निक्षेप/ऋणों का प्रतिदाय		
			प्रतिभूति जमा वापसी-पुस्तकालय	5,600	14,000
			IV. अन्य भुगतान (विनिर्दिष्ट करें)		
			के.लो.नि.वि. को भुगतान	76,11,021	1,55,91,756
			प्रतिभूति जमा - एयरटेल	-	6,000
			सीएससीएपी अनुदान का उपयोग	11,99,873	13,85,957
			एमईए - सेमीनार अनुदान का उपयोग	72,32,918	21,94,115
			आईसीएसएसआर अनुदान का उपयोग	-	86,302
			अप्रयुक्त सीएससीएपी/एमईए अनुदान की वापसी	3,74,990	-
			अनुसंधान हेतु अनुदान पर व्यय	11,74,659	14,00,000
			अन्य अग्रिम	3,33,647	2,29,674
			कर्मचारियों को त्योहार का अग्रिम भुगतान	-	12,075
			V. इतिशेष		
			(क) नकद रोकड़	6,573	-
			(ख) बैंक में जमाराशि		
			भारतीय स्टेट बैंक चालू खाता	8,51,496	96,11,322
			भारतीय स्टेट बैंक बचत खाता	1,92,19,079	73,71,311
			(ग) अन्य		
			अग्रदाय खाता	5,000	5,000
			प्रेषक के पास डाक टिकटें	4,406	2,968
			चेक इन हैंड	10	-
कुल	11,32,87,744	10,79,74,476	कुल	11,32,87,744	10,79,74,476

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 12/05/2014

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

31 मार्च, 2014 का तुलन पत्र

(राशि रु. में)

	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
संग्रह/पूंजी निधि एवं देनदारियां			
संग्रह/पूंजी निधि	1	1,23,72,435	1,06,40,469
निर्धारित/अक्षय निधि	2	53,01,282	45,48,708
आस्थगित आय	3	13,75,56,964	10,57,28,193
वर्तमान देनदारियां एवं प्रावधान	4	1,90,98,271	4,32,25,710
कुल		17,43,28,952	16,41,43,080
परिसंपत्तियां			
अचल परिसंपत्तियां	5	13,86,89,071	10,69,25,586
चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	6	3,56,39,881	5,72,17,494
कुल		17,43,28,952	16,41,43,080
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	12		
आकस्मिक देनदारियां और लेखाओं पर टिप्पणी	13		

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 12/05/2014

ह./-	ह./-	ह./-	ह./-
लेखाकार	ए.डी. वित्त	उप महानिदेशक	महानिदेशक

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखे

(राशि रु. में)

	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आय			
केन्द्रीय सरकार से अनुदान (अनुसूची 4, 4 बी देखिए)		6,33,46,844	6,11,44,877
सदस्यता फीस	7	43,727	54,033
स्वामित्व, प्रकाशनों आदि से आय	8	5,62,130	3,41,802
शेड्यूल्ड बैंक में बचत खाते से अर्जित ब्याज		10,47,768	-
अन्य आय	9	1,30,85,715	96,64,570
कुल (क)		7,80,86,184	7,12,05,282
व्यय			
स्थापना व्यय	10	1,45,07,357	1,62,41,353
अन्य प्रशासनिक व्यय	11	4,47,78,916	4,17,44,866
अनुसंधान हेतु अनुदान पर व्यय		17,24,659	14,00,000
प्रकाशनों की लागत		26,73,449	17,58,658
मूल्य ह्रास (देखिए अनुसूची 5)		1,18,83,420	89,62,401
संपत्ति के निपटान पर हानि		7,86,417	1,14,920
पिछले वर्ष में प्रभारित मूल्यह्रास की अधिकता की वापसी		-	(1,962)
कुल (ख)		7,63,54,218	7,02,20,236
शेष अधिक होने के कारण/(कमी) (क-ख)		17,31,966	9,85,046
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	12		
आकस्मिक देनदारियां और लेखाओं पर टिप्पणी	13		

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 12/05/2014

ह./-	ह./-	ह./-	ह./-
...र	...वित्त	...प मह...क	...निदेश...

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

31 मार्च, 2014 को यथा विद्यमान तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

(राशि रु. में)

अनुसूची 1- संग्रह/पूंजी निधि	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
वर्ष के प्रारंभ में अतिशेष		1,06,40,469		96,55,423
जोड़िए: संग्रह/पूंजी निधि में अंशदान	-		-	
जोड़िए: आय और व्यय लेख से अंतरित शुद्ध/व्यय का अतिशेष	17,31,966		9,85,046	
		17,31,966		9,85,046
वर्ष के अंत में अतिशेष		1,23,72,435		1,06,40,469

अनुसूची 2- निर्धारित/अक्षय निधियां	आईसीएसएसआर से अनुदान	एमईए - परियोजना से अनुदान	कुल: चालू वर्ष	कुल: पिछला वर्ष
क) निधियों का प्रारंभिक अतिशेष	10,493	45,38,215	45,48,708	21,31,347
ख) निधियों में परिवर्धन:				
दान/चंदा/वापसी/स्थानांतरण	-	92,61,149	92,61,149	55,98,612
निधियों के मद्देनजर किए गए निवेशों से आय	-	-	-	-
ग) निधियों के उद्देश्यों के प्रति उपभोग/व्यय				
i. पूंजी व्यय				
- अचल परिसंपत्तियां	-	-	-	-
- अन्य	-	-	-	-
ii. राजस्व व्यय				
- वेतन, मजदूरियां और भत्ते आदि	-	-	-	80,000
- अन्य	-	-	-	
- अन्य - यात्रा एवं अन्य व्यय	-	84,32,791	84,32,791	30,79,518
iii. अप्रयुक्त अनुदानों का प्रतिदाय	-	75,784	75,784	21,733
वर्ष के अंत में शुद्ध अतिशेष (क+ख+ग)	10,493	52,90,789	53,01,282	45,48,708

अनुसूची 3- आस्थगित आय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
प्रारंभिक अतिशेष	10,57,28,193	6,00,45,259
जोड़िए: अवक्षयणीय नियत आस्तियों और चल रहे पूंजी संकर्म के लिए उपयोजित अनुदान (शुद्ध)	4,45,12,557	5,47,39,840
घटाइए: ऐसी आस्तियों पर प्रभारित अवक्षयण के बराबर रकम जो आय और व्यय लेखे में अंतरित कर दी गई है।	1,26,83,786	90,56,906
कुल	13,75,56,964	10,57,28,193

ह./-	ह./-	ह./-	ह./-
लेखाकार	ए.डी. वित्त	उप महानिदेशक	महानिदेशक

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

31 मार्च, 2014 को यथा विद्यमान तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

(राशि रु. में)

अनुसूची 4- वर्तमान देनदारिया और प्रावधान	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
क. वर्तमान देनदारियां				
1) विविध लेनदार		8,16,018		33,09,208
2) प्राप्त किया गया अग्रिम		16,956		21,883
3) सांविधिक देनदारियां				
क) अतिदेय	-		-	
ख) अन्य	2,74,060		2,32,347	
		2,74,060		2,32,347
4) अन्य चालू दायित्व				
क) प्रतिभूति जमा	8,35,715		8,04,915	
ख) केन्द्र सरकार से प्राप्त अप्रयुक्त अनुदान (4.4 (ख) एससीएच संदर्भ देखें)	82,36,630		91,63,291	
ग) केन्द्र सरकार से प्राप्त अप्रयुक्त अनुदान (ऑडिटोरियम का जीर्णोद्धार) (एसीएच 4.4 (ग) का संदर्भ देखें)	-		2,20,80,740	
घ) देय वेतन एवं भत्ते	8,42,967		6,53,677	
ङ.) अन्य देनदारियां	3,97,466		4,54,044	
		1,03,12,778		3,31,56,667
कुल (क)		1,14,19,812		3,67,20,105
ख. प्रावधान				
ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान		76,78,459		65,05,605
कुल (ख)		76,78,459		65,05,605
कुल (क+ख)		1,90,98,271		4,32,25,710

ह./-	ह./-	ह./-	ह./-
लेखाकार	ए.डी. वित्त	उप महानिदेशक	महानिदेशक

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

31 मार्च, 2014 को यथा विद्यमान तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

(राशि रु. में)

अनुसूची 4.4 (ख) केंद्रीय सरकार से अनुप्रयोजित अनुदान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आरंभिक अतिशेष	91,63,291	20,28,748
जोड़िए : वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान (सामान्य एवं वेतन)	8,48,52,000	8,79,00,000
	9,40,15,291	8,99,28,748
घटाइए: केंद्रीय सरकार से प्राप्त अनुदान का आय और व्यय लेखे में अंतरण	6,33,46,844	6,11,44,877
	3,06,68,447	2,87,83,871
घटाइए: अवक्षयणीय नियत परिसंपत्तियों और चल रहे पूंजी संकर्म के लिए उपयोजित (आस्थगित आय का अंतरण)	2,24,31,817	1,96,20,580
उपयोग न किया गया अनुदान, जिसमें अग्रिम सम्मिलित है	82,36,630	91,63,291
कुल	82,36,630	91,63,291

अनुसूची 4.4 (ग) केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुप्रयुक्त अनुदान (ऑडिटोरियम का जीर्णोद्धार)	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आरंभिक अतिशेष	2,20,80,740	5,72,00,000
जोड़िए: वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	-	-
	2,20,80,740	5,72,00,000
घटाएं : ऑडिटोरियम के जीर्णोद्धार के लिए प्रयुक्त - शीर्ष कार्य प्रगति पर (आस्थगित आय का अंतरण)	2,20,80,740	3,51,19,260
उपयोग न किया गया अनुदान, जिसमें अग्रिम सम्मिलित है	-	2,20,80,740
कुल	-	2,20,80,740

ह./-	ह./-	ह./-	ह./-
लेखाकार	ए.डी. वित्त	उप महानिदेशक	महानिदेशक

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

31 मार्च, 2014 को यथा विद्यमान तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 5 – अचल परिसंपत्ति

(राशि रुपए में)

मूल्यह्रास	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	वर्ष के आरंभ पर लागत	वर्ष के दौरान परिवृद्धियां	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्ष के अंत में लागत	वर्ष के आरंभ पर लागत	वर्ष के लिए	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्ष के अंत पर योग	चालू वर्ष के अंत में	पिछले वर्ष के अंत में
केंद्रीय सरकार के अनुदान से अर्जित नियत परिसंपत्तियां										
1. भवन	28,65,530	–	–	28,65,530	17,27,246	56,914	–	17,84,160	10,81,370	11,38,284
2. फर्नीचर, फिक्चर्स	11,56,195	–	–	11,56,195	11,09,016	7,078	–	11,16,094	40,101	47,179
3. कार्यालय उपस्कर	51,097	–	–	51,097	49,071	304	–	49,375	1,722	2,026
4. पुस्तकालय पुस्तक एवं पत्रिकाएं	38,967	–	–	38,967	29,063	990	–	30,053	8,914	9,904
कुल – कुल (क)	41,11,789	–	–	41,11,789	29,14,396	65,286	–	29,79,682	11,32,107	11,97,393
कद्राय सरकार क अनुदान स आजत नियत परिसंपत्तियां										
1. भवन	1,85,16,987	4,32,92,996	–	6,18,09,983	22,46,074	18,95,872	–	41,41,946	5,76,68,037	1,62,70,913
2. फर्नीचर, फिक्चर	2,00,05,401	1,87,75,353	8,93,066	3,78,87,688	1,09,04,332	28,02,432	7,03,849	1,30,02,915	2,48,84,773	91,01,069
3. कार्यालय उपस्कर	1,01,67,896	6,96,130	9,225	1,08,54,801	43,92,744	9,38,523	5,746	53,25,521	55,29,280	57,75,152
4. कंप्यूटर/उपसाधन	1,16,66,505	5,34,634	–	1,22,01,139	70,03,570	12,63,805	–	82,67,375	39,33,764	46,62,935
5. पुस्तकालय पुस्तक एवं पत्रिकाएं	1,94,48,281	58,92,357	–	2,53,40,638	61,20,427	17,80,014	–	79,00,441	1,74,40,197	1,33,27,854
6. पुस्तकालय आईटी अवसंरचना	1,31,93,985	–	–	1,31,93,985	73,98,312	14,48,919	–	88,47,231	43,46,754	57,95,673
7. विद्युत इंस्टालेशन	1,36,86,340	94,11,418	10,05,560	2,20,92,198	66,99,166	16,53,128	3,33,531	80,18,763	1,40,73,435	69,87,174
8. साइकिल एवं रिक्शा	11,000	–	4,000	7,000	5,395	702	3,073	3,024	3,976	5,605
9. जल आपूर्ति प्रणाली	5,83,716	4,29,099	–	10,12,815	1,03,467	34,739	–	1,38,206	8,74,609	4,80,249
उप – जोड़ (ख)	10,72,80,111	7,90,31,987	19,11,851	18,44,00,247	4,48,73,487	1,18,18,134	10,46,199	5,56,45,422	12,87,54,825	6,24,06,624
चालू वर्ष का योग (क+ख)	11,13,91,900	7,90,31,987	19,11,851	18,85,12,036	4,77,87,883	1,18,83,420	10,46,199	5,86,25,104	12,98,86,932	6,36,04,017
पिछला वर्ष	9,75,62,022	1,42,05,647	3,75,769	11,13,91,900	3,90,37,050	89,62,401	2,11,568	4,77,87,883	6,36,04,017	–
जारी पूंजीगत कार्य									88,02,139	4,33,21,569
कुल									13,86,89,071	–

ह./–	ह./–	ह./–	ह./–
लेखाकार	ए.डी. वित्त	उप महानिदेशक	महानिदेशक

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

31 मार्च, 2014 को यथा विद्यमान तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

(राशि रु. में)

अनुसूची 6 - वर्तमान परिसंपत्ति, ऋण, अग्रिम आदि	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
क. वर्तमान परिसंपत्तियां:				
1 फुटकर देनदार		-		-
2 कुल शेष राशि (चेक/ड्राफ्ट तथा अग्रदाय शामिल)		15,989		7,968
3 बैंक शेष				
अनुसूची बैंक साथ				
- चालू खाता (भारतीय स्टेट बैंक)		8,51,496		96,11,322
- बचत खाता (भारतीय स्टेट बैंक)		1,92,19,079		73,71,311
कुल (क)		2,00,86,564		1,69,90,601
ख. ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसंपत्तियां				
1 अग्रिम एवं अन्य वसूली योग्य नकद धनराशि अथवा प्राप्त किया जाने वाला मूल्य				
क) पूंजीगत लेखे पर- सीपीडब्ल्यूडी		1,16,76,947		3,55,75,041
ख) पूर्व-भुगतान		23,69,150		20,37,722
ग) आयकर (टीडीएस) वसूली योग्य		73,690		73,690
घ) अन्य		14,33,530		25,40,440
कुल (ख)		1,55,53,317		4,02,26,893
कुल (क + ख)		3,56,39,881		5,72,17,494

ह./- लेखाकार	ह./- ए.डी. वित्त	ह./- उप महानिदेशक	ह./- महानिदेशक

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखे का भाग बनने वाली अनुसूचियां

(राशि रु. में)

अनुसूची 7 सदस्यता फीस	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
पुस्तकालय सदस्यता	43,727	54,033
कुल	43,727	54,033

अनुसूची 8 स्वामित्व, प्रकाशनों आदि से आय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
स्वामित्व	5,24,398	3,28,118
प्रकाशन की बिक्री	37,732	13,684
कुल	5,62,130	3,41,802

अनुसूची 9 अन्य आय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) आस्थगित आय से अंतरित (देखिए अनुसूची 3)	1,26,83,786	90,56,906
ख) विविध आय	4,01,929	6,07,664
कुल	1,30,85,715	96,64,570

ह./-	ह./-	ह./-	ह./-
लेखाकार	ए.डी. वित्त	उप महानिदेशक	महानिदेशक

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखे का भाग बनने वाली अनुसूचियां

(राशि रु. में)

अनुसूची 10 स्थापना व्यय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) वेतन और मजदूरियां	1,11,33,003	97,15,048
ख) बोनस	1,02,732	1,09,090
ग) कर्मचारी भविष्य निधि और पेंशन निधि का अंशदान	9,37,078	8,52,258
घ) कर्मचारी कल्याण व्यय	1,21,406	7,635
ड.) प्रशासनिक और निरीक्षण प्रभार - आर.पी.एफ.सी.	13,410	12,534
च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति तथा सेवांत लाभों (उपदान) पर किया जाने वाला व्यय	15,50,030	13,05,885
छ) चिकित्सा व्यय (निवल वसूली)	6,29,698	6,26,196
ज) कर्मचारी समूह बीमा	20,000	40,000
झ) ईएसआई अंशदान (विगत वर्ष)	-	35,72,707
कुल	1,45,07,357	1,62,41,353

अनुसूची 11 अन्य प्रशासनिक व्यय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) लेखा फीस	2,97,435	74,220
ख) सीएससीएपी - सामान्य व्यय	280	-
ग) विज्ञापन खर्च	1,36,051	34,992
घ) विद्युत एवं जल	38,93,500	31,51,933
ड.) सेमीनार/कार्यशाला पर व्यय	90,73,805	1,07,65,529
च) कार्यालय बीमा	23,761	23,326
छ) एनडीएमसी संपत्ति कर	65,585	65,580
ज) कार्यालय व्यय	5,95,188	5,95,305
झ) डाक, टेलीफोन और संचार प्रभार	9,34,941	8,42,023
ञ) मुद्रण और लेखन सामग्री	15,95,147	6,85,576
ट) वृत्तिक एवं अन्य मानव शक्ति प्रभार	1,67,19,489	1,50,48,107
ठ) रख-रखाव एवं मरम्मत	50,65,780	45,90,677
ड) सुरक्षा व्यय	9,10,204	8,55,502
ढ) यात्रा एवं वाहन व्यय	38,77,189	34,03,958
ण) अन्य व्यय	1,53,626	46,425
त) समाचारपत्र, पुस्तक और पत्रिकाएं	1,37,166	77,428
थ) ग्राहकी एवं सदस्यता शुल्क	7,53,319	5,29,102
द) वेबसाइट व्यय	5,13,097	3,41,575
ध) पूर्व अवधि व्यय	33,353	6,13,608
कुल	4,47,78,916	4,17,44,866

ह./-	ह./-	ह./-	ह./-
लेखाकार	ए.डी. वित्त	उप महानिदेशक	महानिदेशक

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखाओं का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची: 12 महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

1. <u>लेखाकरण अभिसमय</u>

जब तक कि अन्यथा कथित न हो, लेखाओं की ऐतिहासिक लागत अभिसमय के आधार पर और साधारणतया लेखाकार की प्रोद्भवन पद्धति पर तैयार किया गया है सिवाय सीएससीएपी अनुदान और उपयोग के संबंध में जोकि नकद आधार पर उपयोग किया जाता है।

2. <u>अचल संपत्तियां और मूल्यह्रास</u>

2.1 अचल परिसंपत्तियों का निर्धारण अधिग्रहण की लागत पर किया जाता है, जिनके अंतर्गत अर्जन के संबंध में अनुषंगी और प्रत्यक्ष व्यय सम्मिलित हैं।

2.2 नियत आस्तियों का मूल्यांकन लागत पर, उसमें से एकत्रित अवक्षयण को घटाकर किया गया है। नियत आस्तियों पर अवक्षयण, प्रबंधन द्वारा विनिश्चित किए गए, अनुसार समुचित दरों पर अपलिखित मूल्य पद्धति के आधार पर किया गया है:

भवन	5%
पुस्तकालय पुस्तकें और पत्रिकाएं	10%
फर्नीचर और फिक्सचर	15%
कार्यालय उपस्कर	15%
कम्प्यूटर/उपसाधन	25%
विद्युत प्रतिष्ठान	15%
साइकिलें	15%
जल आपूर्ति प्रणाली	5%

रिपोर्ट के अधीन वर्ष के 1 अक्तूबर को या उसके पश्चात क्रय की गई आस्तियों का उपरोक्त कथित दरों से 50% का अवक्षयण कर लिया गया है।

ह./	ह./-	ह./	ह./-
लेखाकार	ए.डी. वित्त	उप [illegible]निदेशक	म[illegible]शक

3. <u>राजस्व मान्यता</u>

3.1 विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्राप्त अनुदानों/अभिदायों को प्रारंभ में दायित्व के रूप में माना गया है और उन्हें वर्ष के दौरान उपयोग के अनुसार पूंजी या राजस्व व्ययों के लिए समायोजित किया गया है।

3.2 अवक्षणीय आस्तियों के लिए उपयोग की गई सीमा तक अनुदानों को आस्थगित आय के रूप में माना जाता है और उसे प्रणालीबद्ध तथा सुसंगत आधार पर आय और व्यय लेखा में मान्यता दी जाती है।

3.3 साधारणतया, राजस्व व्यय के लिए उपयोजित अनुदानों को वर्ष के दौरान आय माना गया है।

4. <u>विदेशी मुद्रा में लेनदेन</u>

विदेशी मुद्रा में संव्यवहारों को संव्यवहार की तारीख को लागू विनिमय दर पर दर्ज किया गया है।

5. <u>सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ</u>

भविष्य निधि में कर्मचारियों और नियोक्ता के अंशदान को एक पृथक न्यास में अंतरित किया जाता है

उपदान के लिए प्रावधान की संगणना इस उपधारणा पर की जाती है कि उपदान सभी कर्मचारियों को लेखाकरण वर्ष की समाप्ति पर संदेय है। उपदान की ऐसी रकम को राजस्व में प्रभारित किया जाता है। छुट्टी नकदीकरण के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

स्थान: नई दिल्ली
तारीख: 12/05/2014

ह./	ह./-	ह./	ह./-
लेखाकर	**ए.डी. वित्त**	**उप महानिदेशक**	**महानिदेशक**

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखाओं का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची: 13 आकस्मिक देनदारियां और लेखाओं पर टिप्पण

1. **आकस्मिक देनदारियां :**

   क. श्री एच.एस. चड्ढा, एसी संयंत्र प्रचालक नामक कर्मचारी की सेवाएं प्रबंधन द्वारा 01 अप्रैल, 1995 से 26 सितंबर, 2001 के दौरान समाप्त कर दी गई थीं। उन्होंने समाप्ति के विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया था और निचले न्यायालय ने आईसीडब्ल्यूए कर्मचारी को पिछली पूरी अवधि का पारिश्रमिक देने का निदेश देते हुए आदेश पारित किया। इस संबंध में आईसीडब्ल्यू ने निचली अदालत के विरुद्ध एक याचिका दायर की है। हालांकि उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आईसीडब्ल्यूए ने न्यायालय के पास 1,01,205/- रुपए जमा किए हैं, जिन्हें तुलन पत्र में अग्रिम के रूप में दर्शाया गया है।

   ख. आईसीब्ल्यूए के विरुद्ध यदि किसी अन्य न्यायिक मामलों में देनदारी हो - जिस राशि का सुनिश्चय न किया जा सके।

2. **पूंजी प्रतिबद्धताएं:** अग्रिम निवल - शून्य

3. विश्व मामलों की भारतीय परिषद एक ऐसी सोसाइटी है जो कि पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत है, विश्व मामलों की भारतीय परिषद को एक गैर-लाभकारी संस्था के रूप में 1943 में स्थापित किया गया था। विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय ने भारतीय विश्व कार्य संबंधी परिषद अध्यादेश, 2000 (2000 का 3) जारी किया था, जिसके द्वारा परिषद के प्रबंधन को भारत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था। इस अध्यादेश को अधिनियम, 2001 (2001 का अधिनियम संख्या 29) के अधिनियम द्वारा और विनियमित किया गया था। वर्तमान में परिषद, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार से मिलने वाले अनुदानों द्वारा वित्तपोषित है।

4. सीएससीएपी-भारत और विश्व में विविध सीएससीएपी की बैठक आयोजित करने के लिए परिषद विदेश मंत्रालय से सीएससीएपी अनुदान प्राप्त करती है। परिषद केवल अनुदान के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है, जैसे अनुदान की प्राप्ति तथा उसका विशिष्ट मंजूरियों हेतु प्राप्त अनुदान का उपयोग। परिषद का दृष्टिकोण है कि सीएससीएपी लेनदेन परिषद के अतिशेष/कमी से प्रभावित नहीं होगा और तदनुसार नकद आधारित लेखाविधि के लिए जिम्मेवार होगा।

ह./	ह./-	ह./	ह./-
लेखाकर	**ए.डी. वित्त**	**उप महानिदेशक**	**महानिदेशक**

5. जहां कही आवश्यक था, पूर्व वर्ष के आंकड़ों को पुन: समूहबद्ध या पुन: व्यवस्थित किया गया है ताकि वह चालू वर्ष के आंकड़ों के अनुरूप हो सके।
6. अंतिम लेखों में अंकों को निकटतम पूर्ण रुपयों में लिखा गया है।
7. अचल परिसंपत्ति में पूर्ण विवरण दिए गए हैं, जिसमें सरकार द्वारा अधिकार में लिए जाने से पहले पूर्व प्रबंधन द्वारा सुरक्षित रखी गई सभी अचल परिसंपत्तियों का मात्रात्मक विवरण एवं अवस्थिति शामिल है।
8. वर्तमान प्रबंधन को देनदारियों के विषय में जानकारी नहीं है, यदि कोई है, तो वह लीज रेंट के कारण है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि यदि कोई लागत है तो क्या उसे भवन की लागत के रूप में शामिल किया गया है अथवा नहीं। यदि भूमि की लागत भवन की लागत का एक भाग है तो क्या प्रभारित मूल्यह्रास सामान्यतया स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांतों के विपरीत होगा।

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 12/05/2014

ह./	ह./-	ह./	ह./-
लेखाकर	**ए.डी. वित्त**	**उप महानिदेशक**	**महानिदेशक**

31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए विश्व मामलों की भारतीय परिषद के लेखाओं पर भारत के महालेखानियंत्रक और परीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हमने विश्व मामलों की भारतीय परिषद के अधिनियम 2001 की धारा 20(2) के साथ पठित नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19 (2) के अधीन विश्व मामलों की भारतीय परिषद को 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार संलग्न तुलन पत्र और आय और व्यय लेखे/प्राप्तियां और संदाय लेखा की उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लेखापरीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणियों का उत्तरदायित्व विश्व मामलों की भारतीय परिषद को है। हमारा उत्तरदायित्व इन वित्तीय विवरणियों पर हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर राय अभिव्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) की सर्वोत्तम लेखा पद्धतियों, लेखा मानकों और प्रकटन संनियमों आदि पर लेखा व्यवहार के संबंध में टिप्पणियां हैं। कानूनों, नियमों और विनियमों (प्रोप्राइटरी और विनियामक) तथा दक्षता बनाम निष्पादन पहलुओं के संबंध में वित्तीय संव्यवहारों पर लेखापरीक्षा संप्रेक्षण, यदि कोई हो, तो निरीक्षण रिपोर्टों/सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से पृथकत: रिपोर्ट किया गया है।

3. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में सामान्यत: अपनाए जाने वाले लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों की यह अपेक्षा है कि हम अपनी लेखापरीक्षा की योजना इस तरह से बनाएं और लेखापरीक्षा इस तरह से करें कि हमें यह पता चल सके कि वित्तीय विवरणियां तात्विक मिथ्या कथनों से मुक्त है। किसी लेखापरीक्षा में, परीक्षण के आधार पर जांच करना, प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों के समर्थन में सबूत एकत्रित करना तथा वित्तीय विवरण में राशि के प्रकटन और प्रबंधन के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आकलनों के साथ-साथ वित्तीय विवरणियों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना शामिल है। हमारा यह विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए युक्तियुक्त आधार प्रदान करती है।

4. अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:

i हमने वह सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।

ii हमारी रिपोर्ट में व्यवहार किया गया तुलन पत्र और आय-व्यय लेखा/प्राप्तियां और संदाय लेखा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, महालेखा नियंत्रक द्वारा विहित प्ररूप में प्रदर्शित किया गया है।

-16-

iii हमारी राय में विश्व मामलों की भारतीय परिषद ने अधिनियम 2001 की धारा 20 (1) द्वारा यथाअपेक्षित लेखा बहियों और अन्य सुसंगत अभिलेख रखे हैं जैसाकि ऐसी लेखा बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है:

iv हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि :

क. सामान्य

क.1 स्थायी परिसंपत्तियों में 42.12 लाख की राशि का मूल्य होने के कारण स्थायी परिसंपत्तियों में सम्मिलित है जो कि विश्व मामलों की भारतीय परिषद के समय उपलब्ध था तथा जिसको भारत सरकार ने वर्ष 2001 में ग्रहण कर लिया था। अनुसूची 13 के बिंदु संख्या 7 के नोट के अनुसार "आकस्मिक देनदारियों तथा खातों की टिप्पणियों" में इस संपत्तियों का संपूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं है, जिसके न होने के कारण वर्तमान प्रबंधन इन विसंगतियों यदि कोई थीं, तो उन पर इन परिसंपत्तियों से संबंधित खाता पुस्तिकाओं में कोई कार्रवाई नहीं कर सका।

यद्यपि यह मामला 12 वर्षों से अधिक समय से लंबित था और इन परिसंपत्तियों के समाधान/बट्टे खाते में डालने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई।

ख.2 परिषद द्वारा बनाए गए विभिन्न बीजकों की पड़ताल करने पर यह पता चला है कि परिषद के पास 23.96 लाख रूपए का बकाया जमा था तथा सीएससीएपी (एशिया प्रशांत में सुरक्षा सहयोग के लिए परिषद) निर्दिष्ट/स्थायी खातों के अंतर्गत रूपए 25.78 लाख की देनदारी बकाया थी। यह बकाया लगभग 5 से 12 वर्षों तक प्रचालन में नहीं रही तथा यह परिषद इन राशियों को लगातार वार्षिक खातों में दर्शाती रही है।

ग. सहायता अनुदान

ख.1 इस परिषद को पैसा मुख्य रूप से विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुदान सहायता द्वारा दिया जाता है। वर्ष 2013-14 के दौरान इसके खाते में रुपए 45.38 लाख बकाया राशि के रूप में थे, जिन्हें व्यय नहीं किया गया था तथा इस परिषद ने रुपए 848.52 लाख (गैर योजना) के अंतर्गत अनुदान प्राप्त किया था जो कुल मिलाकार रुपए 893.90 लाख हो गया था। इस परिषद में रुपए 857.79 लाख खर्च हुए। इसके अतिरिक्त इस परिषद को विदेश मंत्रालय की परियोजना के लिए 92.61 लाख रुपए प्राप्त हुए थे, जिसमें से रुपए 84.32 लाख व्यय हुए। इस परिषद को स्वयं अपने विभिन्न संसाधनों से 9.34 लाख रुपए भी प्राप्त हुए थे।

ग. प्रबंधन पत्र

वह कमियां जो प्रथम ऑडिट रिपोर्ट में सम्मिलित नहीं की गई हैं, उन्हें दूर करने की कार्रवाई हेतु अलग से जारी किए गए प्रबंधन पत्र के माध्यम से परिषद के संज्ञान में लाया गया है।

v) पूर्ववर्ती पैराग्राम में किए गए हमारे प्रेक्षणों के अनुसार यह बताया जाता है कि तुलन पत्र, आय तथा व्यय खातों प्राप्ति एवं भुगतान खाते पर इस रिपोर्ट के अंतर्गत की गई कार्रवाई खाता पुस्तकों के अनुरूप है।

vi) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कथित वित्तीय विवरणों को लेखांकन नीतियों एवं लेखा टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाए, बशर्ते कि ऊपर कथित महत्वपूर्ण मामलों एवं इस लेखापरीक्षण रिपोर्ट में संलग्नक 1 में उल्लिखित अन्य मामले भारत वर्ष में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार सत्य एवं स्पष्ट दृष्टिकोण प्रदान करते हों।

क. अद्यतन यह 31.3.2014 की स्थिति के अनुसार विश्व मामलों की भारतीय परिषद के तुलन पत्र एवं मामलों की स्थिति से संबंधित है, और

ख. जहां तक इसका संबंध 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए परिषद के अधिशेष आय और व्यय लेखे से है।

-18-

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के लिए और उनकी ओर से

-18-

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 25/11/2014

महानिदेशक लेखापरीक्षा केन्द्रीय व्यय

नोट: प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप में अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होगी, तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।

अनुबंध-I

1. **आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली :**

- परिषद की आंतरिक लेखा परीक्षा विदेश मंत्रालय द्वारा दिनांक 23.6.2014 से 27.6.2014 तक की गई, लेकिन लेखा परीक्षा के पूर्ण होने तक इसकी रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत की गई।

2. **आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता:**

नियंत्रण व्यवस्था:

- कार्मिकों के कर्तव्यों का कोई पृथक्करण नहीं था क्योंकि बीजक तैयार करने वाले तथा नकद राशि का संवितरण करने वाले कार्मिक एक ही थे।

निगरानी

- ऑडिट आपत्तियों के लिए प्रबंधन की प्रतिक्रिया, प्रभावी नहीं थी, जबकि वर्ष 2004-09 (1), 2010-11 (4) तथा 2011-13 (12) के लिए 17 पैरा उत्कृष्ट थे।

3 **सामग्रियों की सूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली**

- स्टोर/स्टॉक्स, पुस्तकालय की पुस्तकों तथा प्रकाशनों के शारीरिक सत्यापन सामान्य वित्तीय नियमावली के प्रावधानों के तहत आवश्यक रूप स्टोर को बनाए रखने वाले अधिकारी के अलावा अन्य अधिकारियों द्वारा नहीं किया गया था।

-5-

-0-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (ईए)